न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर

अपील संख्या 294/2023

कानाराम पुत्र गोविन्दा जाति गुर्जर निवासी महला की ढाणी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

—:अपीलार्थी:—

बनाम

1. भूमि धारक जरिये तहसीलदार धोद (हाल तहसील सीकर ग्रामीण) जिला सीकर।

—:प्रत्यर्थी:—

2. रूकमा पत्नि गोविन्दा
3. श्रामकुंवार पुत्र गोविन्दा
4. प्रहलाद पुत्र पेमा
   जति गुर्जर निवासीगण ग्राम महला की ढाणी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

—:प्रफोर्मा प्रत्यर्थी:—

उपस्थिति:—
1. श्री हरफूल सिंह खीचड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सोहनलाल चौधरी, रेस्पोडेन्टस की ओर से।

निर्णय

दिनांक— 05.10.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी धोद के आदेश दिनांक 14.12.2021 प्रकरण सं0 09/2021 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार धोद बनाम गोविन्दा व अन्य से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 तहत पेश कि। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है भूमि खसरा नं0 1204/240, 1203/240, 1236/239,

संभागीय आयुक्त
सीकर

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय संभागीय आयुक्त
सीकर (राज.)

1237/239, 1238/239, 1239/239, 1219/238, 1220/238 वाके ग्राम महला की ढाणी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में स्थित है। उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के साथ काबिज खातेदार काश्तकार है तथा भूमि का अपीलार्थी उपयोग व उपभोग करता है तथा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि अपीलार्थी के नाम अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2021 में यह अंकन किया कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–3(2) राजस्थान–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण के तहत मौके पर रास्तो को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ग्राम महला की ढाणी की भूमि खसरा नं0 285, 239, 240, 95, 1194/242, 93, 1189/1139, 92, 90, 91, 76, 80, 26/1083, 31, 42, 238 कुल किता 19 में से गुजरता है, तथा तहसीलदार धोद से प्राप्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन करने पाया कि यह रास्ता बारह मासी में प्रचलित है तथा मौसम के अनुसार बदलता नहीं है, और आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध है। राजस्व अभिलेख में उक्त रास्ता कि किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु प्रस्वाति किया गया। उपरोक्त आदेशानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा अपीलार्थी की उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 240 में से 0.3 है0 भूमि जिसके हाल खसरा 1203/240 है तथा खसरा 239 में से खसरा नं0 1236/239 रकबा 0.07 है0, गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं0 1237/239 रकबा 0.08 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता कायम कर दी तथा खसरा नं0 239 में शेष भूमि को भी दो भागों में विभाजित कर खसरा नं0 1238/239 व 1239/239 कायम कर दी तथा इसी प्रकार खसरा नं0 238 में से खसरा नं0 1219/238 रकबा 0.08 है0 भूमि गैर मुमकिन रास्ते के रूप में व खसरा नं0 1220/238 रकबा 0.1600 गैर मुमकिन मन्दिर के रू॰ में दर्ज कर अंकित करने के आदेश प्रदान कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरित जाकर तहसीलदार जी की मनगढन्त रिपोर्ट व राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों ने मिली भगत कर नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी की कब्जे व खातेदारी की भूमि में से मौके पर बिना कोई प्रचलित रास्ता हुये अपीलार्थी की भूमि में से रास्ते के रूप में रकबा दर्ज करने के आदेश पारित कर रास्ता कायम किये जाने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का कोई अवलोकन नहीं किया, जिसमें दिनांक 15.12.2016 के बाद उक्त परिपत्र के आधार पर किसी तरह

संभागीय आयुक्त
सीकर

प्रमाणित प्रतिलिपि
शीघ्र
न्यायालय संभागीय आयुक्त
सीकर (राज.)

का कोई रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है तथा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अन्य खातेदार को किसी खेत में से होकर नया रास्ता कायम करवाना हो तो उसके द्वारा राज0 काश्त0 अधि0 की धारा 251ए कि अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विधि अनुसार सुनवाई की जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जावेगा। उपरोक्त प्रावधानों के अवहेलना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2021 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, दिनांक 28.02.2023 को हल्का पटवारी मौके पर आकर अपीलार्थी की भूमि की सीमाऐं देखने लगा तो अपीलार्थी ने इसका कारण पूछा तो हल्का पटवारी ने अपीलार्थी को बताया कि अपीलार्थी की उपरोक्त भूमि में से दिनांक 14.12.2021 को उपखण्ड अधिकारी ने रास्ता कायम किया है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2021 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने कि कृपा करे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की ओर वकील श्री सोहनलाल चौधरी उपस्थित हुए। जिन्होंने अपील का जवाब नहीं देकर सिधे बहस व कथन किया की अपीलार्थी को अपनी भूमि में रास्ता काटे जाने कि जानकारी थी व मौके पर अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में से रास्ता काटे जाने पर सहमति दी गयी थी। इसलिए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा दिनांक 14.12.2021 आदेश पारित किया जिसमें भूमि खसरा नं0 285, 239, 240, 95, 1194/242, 92, 90, 91, 76, 80, 26/1083, 127, 30, 31, 1115/35, 42, 238, में गुजरने वाले रास्तें का राजस्व रिकार्ड में किस्म गै.मु. रास्ते रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त रास्ता अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नं0 240, 239 व 238 में बिना सूचना के काटा

संभागीय आयुक्त
सीकर

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय संभागीय आयुक्त
सीकर (राज.)

गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न जिसमें उक्त रास्तें को प्रचलित बताया है एवं उक्त रास्ता आमजन के आवागमन के काम आ रहा है। अधीस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी उक्त रास्तें के संबंध में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दी गई थी। अपीलार्थी को बिना सूचना दिये अपीलाधीन आदेश पारित किए जाने का अपीलार्थी कथन सरासर गलत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2021 में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलार्थी सारहीन होने के कारण खारिज कि जाती है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय संभागीय आयुक्त
सीकर (राज.)